मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

देहरादून

नजूल नीति वर्ष 2009

[redacted]

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

सूचना-

नजूल नीति - 2005 जो दिनांक 31-7-08 तक प्रभावी थी, की पुस्तिका पृथक से निर्धारित मूल्य रूपये 100/- की दर से प्राधिकरण कार्यालय में विक्रय हेतु उपलब्ध है।

प्रेषक

शत्रुघ्न सिंह
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार।
4. अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल/देहरादून/गंगोत्री।

आवास अनुभाग-1 देहरादून: दिनांक 01 मार्च 2009

विषय: उत्तराखण्ड में स्थित नजूल नीति के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में नई नजूल नीति 2009 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं निस्तारण के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेशों का संज्ञान लेते हुए उत्तराखण्ड राज्य में नजूल भूमि के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या-726/ श०वि०/आ०-03-187 (आ०)/01 टी०सी०-1, दिनांक 10 मार्च, 2003 द्वारा व्यवस्था निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में स्थित नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण हेतु राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व की नजूल नीतियों तथा शासनादेशों में की गयी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा एवं सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या- 1803/V/आ०- 2005-187 (आ०)/01टी०सी०-1, दिनांक 04-8-2005 द्वारा व्यवस्था/नीति निर्धारित की गयी है।

2. नजूल नीति, 2005 निर्गत करने के उपरान्त विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर शासन को अवगत कराया गया कि फ्री-होल्ड नीति के कतिपय व्यवस्थायें स्पष्ट न होने के कारण उत्पन्न हो रही कठिनाईयों एवं शासन द्वारा प्रख्यापित नजूल नीति के अन्तर्गत फ्री-होल्ड की दरें बहुत अधिक होने के कारण जनता द्वारा बहुत कम संख्या में आवेदन किया जा रहा है। साथ ही साथ यह भी अवगत कराया गया है कि विभिन्न जनपदों में निर्धन व्यक्तियों द्वारा नजूल भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है तथा उनके द्वारा बहुत ही कम मात्रा में फ्री-होल्ड कराया जा रहा है।

3. अतः उत्तराखण्ड राज्य में नजूल भूमि के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या-726/श०वि०/आ०-03-187 (आ०)/01टी०सी०-1, दिनांक 10 मार्च, 2003 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या- 1803/V/ आ०-2005-187(आ०) / 01 टी०सी०-1, दिनांक 04 अगस्त, 2005 के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में स्थित नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में तात्कालिक प्रभाव से निम्नानुसार नजूल भूमि नीति 2009 प्रख्यापित की जा रही है:-

(1) पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में नजूल भूखण्डों को फ्रीहोल्ड करने हेतु कतिपय सुविधाओं सहित एक शासनादेश दिनांक 01-12-1998 को निर्गत किया गया था। पुनः उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 03-12-99

एवं 31-12-2000 द्वारा उक्त शासनादेश के क्रम में नजूल भूखण्डों को फ्रीहोल्ड करने हेतु अग्रेत्तर निर्देश दिये गये हैं। शासनादेश दिनांक 01.12.1998 के अनुसार ऐसे नजूल भू-खण्डधारियों को जिनके द्वारा शासनादेश में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार फ्रीहोल्ड हेतु देय धनराशि का आंकलन कर कुल धनराशि का 25 प्रतिशत जमाकर फ्रीहोल्ड हेतु निर्धारित तिथि अर्थात 30-6-99 तक आवेदन किया गया हो, को दिनांक 30-11-91 के सर्किल रेट के आधार पर फ्री होल्ड की सुविधा अनुमन्य की गयी थी।

(2) उत्तरांचल राज्य के गठन के पूर्व पूर्ववर्ती राज्य द्वारा निर्गत शासनादेश सं० 2268/9-आ०-04/98-704 एन/97 दिनांक 1-12-98 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार स्वमूल्यांकन के आधार पर 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर फ्रीहोल्ड आवेदनकर्ताओं के प्रकरणों को राज्य गठन की तिथि दिनांक 8-11-2000 तक निर्गत शासनादेशों जिनका समावेश उत्तरांचल राज्य के शासनादेश संख्या-726/श०वि०/आ०-3-187 (आ०)/2001 टी०सी०-1 दिनांक 10-3-2003 में किया गया है, के प्रावधानों के अनुसार निस्तारित किया जा रहा है।

(3) **उक्त शासनादेश में प्रभावी व्यस्था के अनुरूप फ्रीहोल्ड हेतु धनराशि का निम्नानुसार निर्धारण होगा-**

(क) ऐसे नजूल भू-खण्डधारी, जिन्होंने उ०प्र० शासन के शासनादेश दिनांक 1.12.1998 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार स्वमूल्यांकन के आधार पर 25 प्रतिशत की धनराशि (जैसा कि अग्रिम पैरा 20 में परिभाषित है) ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति सहित निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 30-6-99 तक आवेदन कर दिया हो, किन्तु किसी कारणवश फ्रीहोल्ड की कार्यवाही सम्पादित नहीं हो चुकी हो, दिनांक 30-11-1991 के सर्किल रेट के आधार पर शासनादेश दिनांक 1-12-98 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन फ्री होल्ड की सुविधा अनुमन्य करा दी जायेगी।

(ख) ऐसे नजूल भू-खण्डधारी, जिन्होंने उक्त शासनादेश दिनांक 1-12-98 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 30-6-99 के बाद और दिनांक 8-11-2000 अर्थात राज्य गठन की तिथि तक आवेदन कर दिया हो, किन्तु किसी कारणवश फ्रीहोल्ड की कार्यवाही सम्पादित नहीं हो सकी हो, उन्हे पूर्ववर्ती राज्य उ०प्र० के शासनादेश दिनांक 1-12-98 एवं शासनादेश दिनांक 3-12-99 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 1-4-94 को सर्किल रेट के आधार पर फ्रीहोल्ड की सुविधा अनुमन्य करा दी जायेगी।

(ग) राज्य गठन के बाद अर्थात दिनांक 9-11-2000 से शासनादेश दिनांक 10-3-2003 की तिथि तक जिन नजूल भूखण्ड-धारियों द्वारा स्वमूल्याकंन के आधार पर 25 प्रतिशत की धनराशि ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति सहित निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया गया हो, ऐसे प्रकरणों पर दिनांक 1-4-94 के सर्किल रेट के अनुसार फ्रीहोल्ड की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(घ) शासनादेश दिनांक 10-3-2003 के निर्गत किये जाने की तिथि के पश्चात तथा नजूल नीति के प्रवृत्त होने की तिथि 04-08-2005 तक जिन पट्टेदारों द्वारा नियमानुसार आवेदन किये गये हैं, वे राज्य गठन की तिथि अर्थात दिनांक 8-11-2000 को प्रभावी सर्किल रेट पर पट्टों के फ्रीहोल्ड हेतु पात्र होंगे।

(ङ) जिन पट्टेधारकों द्वारा नजूल नीति 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 31 जुलाई, 2008 तक स्वमूल्यांकन की धनराशि ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति सहित निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया है और प्रकरण में फ्री-होल्ड हेतु अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया हो, उन्हे यह सुविधा होगी कि वह नजूल नीति, 2005 अथवा नई नीति में से कोई एक के अन्तर्गत आच्छादित होने का विकल्प दे सकेंगे।

(च) जो आवेदक नजूल नीति, 2009 लागू होने के बाद आवेदन करेंगे उनकी कब्जे की भूमि को फ्रीहोल्ड किये जाने हेतु तददिनांक को प्रभावी सर्किल रेट लागू होंगे।

(छ) पट्टों की शर्तों का उल्लंघन करने वाले पट्टाधारकों, जिन्होने 25 प्रतिशत की धनराशि उपरोक्त प्रस्तर "क" से "ड" पर उल्लिखित निर्धारित तिथि तक जमा कर आवेदन कर दिया हो, के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 1-12-98 के प्रस्तर- 2(3) में निहित व्यवस्थाओं के अनुरूप तथा अवैध/अनधिकृत कब्जाधारियों, जिन्होने 25 प्रतिशत की धनराशि उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि तक जमा कर आवेदन कर दिया हो, के सम्बन्ध में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 1-12-98 के प्रस्तर-7 एवं शासनादेश दिनांक 05-1-2000 तथा 20-1-2000 में उल्लिखित प्रक्रियाओं एवं उपरोक्त प्रस्तर "क" से "ड" में उल्लिखित व्यवस्थाओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(ज) फ्रीहोल्ड की उपरोक्त सुविधा केवल उन्ही आवेदकों को अनुमन्य होगी, जिनके द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर आवेदन किया हो और मात्र आवेदन करने वाले आवेदकों, जिन्होने 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की है, को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी तथा ऐसे आवेदकों को राज्य की नयी नजूल नीति में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप पुनः नये सिरे से आवेदन करना होगा।

(झ) नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में जारी समस्त शासनादेशों तथा उत्तरांचल राज्य द्वारा उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 10-3-2003 को उक्त वर्णित प्रयोजन के अतिरिक्त फ्री-होल्ड की समस्त कार्यवाही हेतु उत्तराखण्ड नजूल नीति 2009 के प्रावधान लागू होंगे।

4- **पात्रताधारक की परिभाषा- शाश्वतकालीन एवं चालू पट्टों की नजूल भूमि तथा पट्टागत भूमि को फ्री होल्ड करने हेतु इस नीति में अग्रेत्तर उल्लिखित व्यवस्थाओं/ प्रावधानों के अधीन निम्नलिखित पात्रता की श्रेणी में माने जायेंगे-**

(क) पट्टेदार एवं उनके विधिक उत्तराधिकारी एवं विधिक क्रेता। ऐसे क्रेता जिन्होने विक्रय विलेख के माध्यम से सम्पत्ति क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया हो, ही पात्र समझे जायेंगे।

(ख) राज्य सरकार के शासकीय तथा अर्द्धशासकीय विभाग द्वारा राज्य सरकार के निगम, उपक्रम/प्रतिष्ठान/संस्था आदि।

(ख)(1) राज्य सरकार के विभागों को नजूल भूमि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-260 / वित्त अनुभाग - 3 / 2002, दिनांक 15.02.2002 के निर्देशों के क्रम में निःशुल्क आवंटित की जायेगी।

(ग) स्थानीय निकाय, नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम, जिला पंचायत (इनके पक्ष में फ्री-होल्ड नियमानुसार मूल्य निर्धारण के 5 प्रतिशत की धनराशि राज्य कोषागार में जमा करने पर किया जायेगा।)

(घ) विकास प्राधिकरणों/स्थानीय निकायों, संस्थानों एवं शासकीय तथा अर्द्धशासकीय विभागों एवं केन्द्र सरकार के विभाग।

(च) मूल पट्टाधारक अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में हो फ्री-होल्ड की सुविधा अनुमन्य करायी जायेगी। मूल पट्टाधारक अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा नामित व्यक्तियों के पक्ष में फ्री-होल्ड की सुविधा किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे क्रेता, जिन्होने पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से स्टाम्प शुल्क देकर पट्टाधारक से भूमि क्रय की हो को प्रभावी सर्किल रेट के आधार पर

सुविधा अनुमन्य करायी जायेगी, किन्तु ऐसे क्रेताओं को उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी छूट आदि की सुविधा अनुमन्य नहीं की जायेगी। प्रतिबन्ध यह होगा कि मूल पट्टों की शर्तों का उल्लंघन न हुआ हो।

(छ) अवैध/अनधिकृत अध्यासी (नजूल नीति में वर्णित व्यवस्थाओं के अधीन)।

(ज) ऐसे क्रेता जिन्होने पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से भूमि प्राप्त न की हो, बल्कि आपसी संविदा, मुख्तारेआम अथवा पंजीकृत इकरारनामे अथवा अन्य किसी प्रकार से प्राप्त की हो, तो ऐसे प्रकरणों को अवैध मानते हुए, अवैध कब्जाधारी व्यक्तियों पर लागू नीति के अनुसार ही फ्री-होल्ड की कार्यवाही की जायेगी।

(झ) ऐसी पट्टागत भूमि, जिनके पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी हो, और जिनमें शासन को पुनः प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो गया हो, को भी फ्री-होल्ड की सुविधा अनुमन्य होगी।

(5) (क) ऐसी चालू पट्टों की नजूल भूमि के सम्बन्ध में पट्टाधारक यदि निम्न तालिका में वर्णित निर्धारित दर के आधार पर आंकलित धनराशि जमा कर देता है तो उसे फ्रीहोल्ड की सुविधा अनुमन्य करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी होने की तिथि से फ्रीहोल्ड होने तक ऐसी भूमि का उपविभाजन एवं छोटे टुकड़े करना स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(ख) ऐसी पट्टागत एवं शाश्वत कालीन पट्टों की नजूल भूमि के पात्रताधारकों के पक्ष में फ्रीहोल्ड मूल्यांकन की गणना प्रभावी सर्किल रेट के निम्न दरों पर की जायेगी-

भूमि का क्षेत्रफल	ऐसे पट्टाधारकों जिन्होने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है, उनके द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट के सर्किल रेट की दर से निम्न मूल्यांकन लागू होगा।	ऐसे पट्टाधारकों जिन्होने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया है, उनके द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट के सर्किल रेट की दर से निम्न मूल्यांकन लागू होगा।
	नजूल नीति 2009 के अनुसार प्रचलित प्रतिशत	नजूल नीति 2009 के अनुसार प्रचलित प्रतिशत
50 वर्ग मी० तक	15	30
51 से 100 वर्ग मी० तक	20	40
101 से 200वर्ग मी० तक	40	65
201 से 500 वर्ग मीटर तक	50	80
500 वर्ग मीटर से ऊपर	80	130

परन्तु ऐसे पट्टाधारकों जिनके द्वारा प्राधिकरण/नगर निकाय/ जिलाधिकारी कार्यालय में समय से पट्टे के नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया है तथा आवेदन पर निर्णय नहीं हुआ है, को ''पट्टा नवीनीकृत नहीं है'' का आधार बनाकर पट्टे की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जायेगा।

(ग) डिमाण्ड नोट जारी होने के 60 दिन के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि जमा करने वाले फ्री-होल्ड आवेदकों को 10 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

(घ) नजूल भूमि पर निर्धन व्यक्तियों की आवासीय कब्जे की भूमि को विनियमित किये जाने हेतु गरीबी रेखा के नीचे आने वाले व्यक्तियों के 100 वर्ग मीटर तक के भू-खण्डों को फ्री-होल्ड किये जाने हेतु 5 वर्षीय 5 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित छमाही किश्तों पर भुगतान की सुविधा भी दे दी जायेगी। यदि समयान्तर्गत निर्धारित तिथियों पर धनराशि जमा कर फ्री-होल्ड की कार्यवाही उपरोक्तानुसार नहीं करायीं जायेगी तो यह सुविधा समाप्त मानी जायेगी परन्तु रू० 22,000/- (रूपये बाइस हज़ार मात्र) तक की वार्षिक आय वाले निर्धन पट्टेदारों को 50 वर्गमीटर तक के केवल आवासीय भूखण्डों को निःशुल्क फ्री-होल्ड की सुविधा भी दे दी जायेगी।

(6)1- फ्री-होल्ड के ऐसे प्रकरणों जो कि बहुमंजिले भवनो/दुकानों से सम्बन्धित हो, और ऐसी बहुमंजिली इमारतों में विभिन्न मंजिलों पर क्रमशः दो मंजिले, तीन मंजिलें एवं चार मंजिले किन्तु अलग-अलग स्वामित्व वाले पट्टेदारों, उनके विधिक उत्तराधिकारियों, विधिक क्रेता के पक्ष में नियमानुसार सकल मूल्याकंन का विभाजन निम्न प्रकार से करते हुए फ्री-होल्ड की कार्यवाही की जायेगी:-

(क) दो मंजिले भवन के भूतल का 60 प्रतिशत तथा प्रथम तल का 40 प्रतिशत।

(ख) तीन मंजिले भवन के भूतल का 40 प्रतिशत, प्रथम तल का 30 प्रतिशत तथा तृतीय तल का 30 प्रतिशत।

(ग) चार मंजिले भवनों के भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा तृतीय तल का क्रमशः 40, 20, 15 तथा 25 प्रतिशत।

(घ) चार या इससे अधिक मंजिल के भवनों के प्रकरणों के निष्पादन हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किये जायेंगे। ऐसे प्रकरणों पर शासन का निर्णय अन्तिम होगा।

(च) व्यावसायिक प्रयोग हेतु प्रत्येक मंजिल एवं भूतल के सम्बन्ध में उपरोक्त दरों का 50 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा। इस व्यवस्था के निर्धारण में नगर निगम के भवन करों से सम्बन्धित अभिलेखों से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा।

(6)1.1 बहुमंजिले भवनों/दुकानों में भू-गेह तल होने पर निम्नानुसार सकल मूल्यांकन का विभाजन किया जायेगा:-

(क) एक मंजिले भवन के भूगेह तल का 40 प्रतिशत तथा प्रथम तल का 60%

(ख) दो मंजिले भवन के भूगेह तल का 15 प्रतिशत तथा प्रथम तल का 50 प्रतिशत तथा द्वितीय तल का 35 प्रतिशत।

(ग) तीन मंजिले भवनों के भूगेह तल का 20 प्रतिशत, प्रथम तल का 35 प्रतिशत, द्वितीय तल का 25 प्रतिशत तथा तृतीय तल का 20 प्रतिशत।

(घ) चार मंजिले भवनों के भूगेह तल का 15 प्रतिशत, प्रथम तल का 30 प्रतिशत, द्वितीय तल का 20 प्रतिशत, तृतीय तल का 15 प्रतिशत तथा चतुर्थ तल का 20 प्रतिशत।

(च) चार या इससे अधिक मंजिल के भवनों के प्रकरणों के निष्पादन हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किये जायेंगे। ऐऐ प्रकरणों पर शासन का निर्णय अन्तिम होगा।

(छ) व्यावसायिक प्रयोग हेतु प्रत्येक मंजिल एवं भूतल के सम्बन्ध में उपरोक्त दरों का 50 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा। इस व्यवस्था के निर्धारण में नगर निगम के भवन करों से सम्बन्धित अभिलेखों से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा।

(6)2- बहुमंजिली इमारतों के सम्बन्ध में भूमि पर स्वत्व विभिन्न फ्लैट्स के फ्री-होल्ड के मूल्याकंन के अनुपात में होगा। समस्त फ्री-होल्डर के पक्ष में सड़क से लगी भूमि का स्वत्व आनुपातिक रूप से निर्धारित होगा।

(6)3- उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पन्न करते समय भूखण्डों की माप उत्तर से दक्षिण अथवा पूर्व से पश्चिम की जायेगी।

(7) (क) ऐसी नजूल भूमि/भूमि पर स्थित भवन जो महायोजना में सार्वजनिक स्थलों, पार्कों, सड़कों की पटरियों, वाइडनिंग, जल निकासी, सार्वजनिक सीवर व्यवस्था आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रदर्शित हो, को जो महायोजना में सार्वजनिक उपयोग में आने की सीमा तक इस भूमि का पूर्ण या आंशिक भाग हो सकता है, फ्री-होल्ड नहीं किया जायेगा।

(ख) ऐसी भूमि/भूमि पर स्थित भवन, जो प्रशानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के समीपस्थ स्थित हो, और जिनकी सार्वजनिक उपयोग हेतु वर्तमान में आवश्यकता है, अथवा भविष्य में आवश्यकता हो सकती हो, ऐसे अवैध/अनधिकृत कब्जों, पट्टों की शर्तों का उल्लंघन करने वाले कब्जों, पट्टे की अवधि पूर्ण होने वाले पट्टों के उस भाग को जो महायोजना में चिन्हित कर दिया गया है किसी भी स्थिति में फ्री-होल्ड नहीं किया जायेगा।

(ग) उपरोक्त प्रस्तर (7)(क) तथा (ख) में उल्लिखित प्रकृति की ऐसी भूमि/भूमि पर स्थित भवन, जो वैध पट्टेदारों के पास है, को पट्टा अवधि समाप्त होने के पूर्व ही शासन में निहित कर दिया जायेगा और पट्टेदार के पक्ष में किसी भी दशा में फ्री-होल्ड या नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

(घ) यदि किसी भूमि/भूमि पर स्थित भवन को पट्टेदार फ्रीहोल्ड न कराना चाहता हो तो उसे सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अथवा विकास प्राधिकरण के पक्ष में फ्री-होल्ड करने की कार्यवाही की जायेगी, यदि उक्त भूमि/भूमि पर स्थित भवन को उपरोक्त प्राधिकरण अथवा निकाय फ्रीहोल्ड न कराना चाहेंगे तो ऐसे भूमि/भूमि पर स्थित भवन की फ्रीहोल्ड की कार्यवाही सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से की जायेगी।

(च) उपरोक्त प्रस्तर (7)(क) से (ग) में उल्लिखित भूमि/भूमि पर स्थित भवन के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

(छ) ऐसी नजूल भूमि जो निर्बाध रूप से रिक्त पड़ी है और जिसका अभी तक कोई पट्टा नहीं है, के सम्बन्ध में सर्वप्रथम प्रत्येक नगर में इस प्रकार की रिक्त भूमि को आवश्यकतानुसार शासन द्वारा अवशेष भूमि के सम्बन्ध में निम्न तालिका के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर आरक्षित मूल्य निर्धारित करके नीलामी/निविदा की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

	भूखण्ड का क्षेत्रफल (एकड़ में)	आरक्षित मूल्य का प्रतिशत (निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार)
1.	0 से 0.50 तक	100
2.	0.50 से अधिक व 0.75 तक परन्तु 0.50 एकड़ के मूल्य से कम नहीं।	95
3.	0.75 से अधिक व 1.00 तक परन्तु 0.75 एकड़ के मूल्य से कम नहीं।	90
4.	1.00 से अधिक व 1.50 तक परन्तु 1.00 एकड़ के मूल्य से कम नहीं।	85
5.	1.50 से अधिक व 2.50 तक परन्तु 1.50 एकड़ के मूल्य से कम नहीं।	80
6.	2.00 से अधिक व 5.00 तक परन्तु 2.00 एकड़ के मूल्य से कम नहीं।	75
7.	5.00 से अधिक	70

किन्तु-

(क) भूमि का निस्तारण महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग के अनुरूप किया जायेगा।

(ख) एक लाख से कम मूल्य की भूमि का निस्तारण नीलामी के माध्यम से तथा एक लाख से अधिक मूल्य की भूमि के लिए सील्ड निविदा सह नीलामी आमंत्रित की जायेगी।

(ग) व्यावसायिक उपयोग के लिये आरक्षित मूल्य उपरोक्त का दुगुना होगा।

(घ) नीलामी/निविदा का उच्चतम बोली प्रचलित आरक्षित मूल्य से कम होने पर समुचित कारणों सहित प्रकरण शासन की स्वीकृति हेतु भेजे जायेंगे।

8. विद्यालय, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, सार्वजनिक उपयोग एवं धार्मिक स्थलों, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा आदि को पट्टे पर दी गयी नजूल भूमि को पट्टे की शर्तों के अनुसार नवीनीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

9. (क) जहां मास्टर प्लान लागू है, वहां फ्रीहोल्ड अथवा नवीनीकरण की कार्यवाही (जैसे भी इस नीति के अन्तर्गत स्थिति बनती हो) केवल मास्टर प्लान के प्रावधानों के अन्तर्गत ही की जायेगी।

(ख) जहां विनियमित क्षेत्र है और भूउपयोग परिभाषित है, वहां विनियमत क्षेत्र के नियमों एवं तदनुसार परिभाषित भू उपयोग के अनुसार भू उपयोग शुल्क लिया जायेगा।

(ग) जहां पर न तो मास्टर प्लान के प्रावधान लागू होते हैं, और न ही वह विनियमित क्षेत्र ही परिभाषित है, वहां पर वास्तविक भू उपयोग के अनुसार मूल्यांकन लेकर फ्री-होल्ड की कार्यवाही की जायेगी।

10. ऐसी नजूल भूमि जिसकी राज्य सरकार को आवश्यकता हो, पट्टेदार अथवा अन्य किसी के पक्ष में फ्री होल्ड करने की बाध्यता नहीं होगी। ऐसी भूमि का निर्णय प्रस्तर-7च के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा लिया जायेगा। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत प्राधिकरण को यदि किसी भूमि की सार्वजनिक उपयोग हेतु आवश्यकता हो तो उक्त भूमि पर निर्णय हेतु प्रस्ताव उपाध्यक्ष द्वारा जिलाधिकारी को संदर्भित किया जायेगा। जिलाधिकारी के निर्णयानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

11. पट्टागत सम्पूर्ण भू-भाग को ही फ्रीहोल्ड किया जायेगा, इसके अंश भाग को नहीं। यदि अंश भाग पर अलग-अलग पट्टेदार या उनके उत्तराधिकारी, विधिक, क्रेता, अवैध/अनधिकृत अध्यासी काबिज हों तो उनके पक्ष में निर्धारित नीति के अनुसार ही फ्रीहोल्ड की कार्यवाही अनुमन्य होगी।

12. स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभागों, निगमों, उपक्रमों/प्रतिष्ठानों के लिये पट्टागत भूमि तथा कब्जे की नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड कराया जाना आवश्यक होगा।

13. सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे पार्क, सड़क आदि को फ्रीहोल्ड नहीं किया जायेगा। इनका प्रबन्धन पूर्व की व्यवस्था की भांति चलता रहेगा तथा इस प्रकार की भूमि पर अवैध कब्जेदारों को बेदखल किया जायेगा।

14. पट्टागत ऐसी भूमि जिसके पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी हो अथवा शर्तों के उल्लंघन के कारण राज्य सरकार को पुनः प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो गया हो, के फ्रीहोल्ड हेतु कोई आवेदन पत्र नहीं होते हैं, तो उसे भी सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा।

15. विवादित सम्पत्तियों एवं भूखण्डों अर्थात जिनमें विभिन्न न्यायालयों के वाद लम्बित हो, को वाद के अन्तिम निस्तारण तक फ्रीहोल्ड नहीं किया जायेगा।

16. अनधिकृत कब्जेदारों के कब्जे में नजूल भूमि का फ्रीहोल्ड किये जाने हेतु दण्डात्मक परिवर्तन शुल्क (Conversion Charges) का निर्धारण किया जायेगा। इसके लिये परिवर्तन शुल्क (Conversion Charges) प्रचलित सर्किल रेट का दोगुना होगा तथा अनाधिकृत कब्जे की कट ऑफ डेट 09-11-2011 होगी। उपरोक्त तिथि के बाद हुए किसी भी अनधिकृत कब्जे का विनियमितीकरण नहीं किया जायेगा।

17. (क) अवैध कब्जे की ऐसी नजूल भूमि, जिस पर दिनांक 09-11-2011 के पूर्व से अवैध/अनधिकृत कब्जा हो, तो 100 वर्गमीटर से कम की भूमि की स्थिति में आवासीय उपयोग हेतु अद्यतन सर्किल रेट का 100 प्रतिशत व व्यवसायिक मामलों में सर्किल रेट का 125 प्रतिशत मूल्य लिया जायेगा तथा 100 वर्गमीटर से अधिक की स्थिति में आवासीय हेतु अद्यतन सर्किल रेट का 125 प्रतिशत तथा व्यवसायिक मामलों में अद्यतन सर्किल रेट का 150 प्रतिशत पर मूल्य लेकर फ्रीहोल्ड के रूप में अतिचारी के पक्ष में विनियमित किया जायेगा।

(ख) उक्त अवैध कब्जे के प्रमाण स्वरूप उस भू-खण्ड/भवन से सम्बन्धित टेलीफोन बिल, विद्युत बिल, हाउस टैक्स की रसीद, मतदाता सूची, राशनकार्ड आदि में से कोई एक अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और फ्रीहोल्डकर्ता अधिकारी के पूर्ण संतुष्टि के पश्चात फ्रीहोल्ड की कार्यवाही की जायेगी।

(ग) ऐसे प्रकरण जिनमें अनधिकृत कब्जेधारी द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से भूमि क्रय कर ली गयी हो, तो ऐसे क्रेताओं के पक्ष में उन्हे अवैध कब्जेदार मानते हुए फ्रीहोल्ड की कार्यवाही की जा सकती है लेकिन उन्हे उसी भूमि का दोबारा मूल्य देना होगा। दोबारा मूल्य देते समय पूर्व में अदा की गयी स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि को भूमि के मूल्य से घटा दिया जायेगा। उनके पक्ष में फ्रीहोल्ड करते समय इस हेतु पंजीकृत बैनामें द्वारा भूमि क्रय करने की कट ऑफ डेट 09-11-2011 तक रखी जाती है।

(घ) ऐसी भूमि, जिसका कई बार विक्रय/हस्तान्तरण होने के बाद अन्तिम क्रेता द्वारा फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन करने की स्थिति में पट्टेदार द्वारा प्रथम हस्तान्तरण से अन्तिम हस्तान्तरण/ विक्रयं तक के "लिंक" स्थापित करने के लिये सभी हस्तान्तरण/विक्रय अभिलेखों को प्रस्तुत करना होगा, किन्तु ऐसा न कर पाने की स्थिति में फ्रीहोल्ड हेतु आवेदित भूमि की वस्तुस्थिति का उल्लेख करते हुए प्रस्तावित कार्यवाही को समाचार-पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से ऐसे व्यक्तियों की आपत्तियां आमंत्रित की जायेंगी, जो अपने को उस भूमि का पट्टेदार मानते हों, अथवा उसके अधिकार रखने का दावा रखते हों। यदि कोई व्यक्ति आपत्ति प्रस्तुत करता है तो उस पर गुण व अवगुण के आधार पर उसके दावे पर निर्णय करते हुए फ्रीहोल्ड के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लिया जायेगा, अन्यथा अन्तिम क्रेता के भूखण्ड पर कब्जे की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उसे अवैध कब्जेदार मानते हुए फ्रीहोल्ड पर विचार किया जायेगा। ऐसी स्थिति में अन्य प्रस्तरों का लाभ यदि अनुमन्य होता है तो अनुमन्य कराया जायेगा।

18. आवेदन पत्र देने की प्रक्रिया- फ्रीहोल्ड हेतु निर्धारित आवेदन पत्र (संलग्नक-1 के अनुसार) के साथ भूमि मूल्यांकन धनराशि का 25 प्रतिशत निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार स्वमूल्यांकन के आधार पर जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति संलग्न करते हुए आवेदन पत्र जिस तिथि को सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा, वही तिथि आवेदन पत्र देने की तिथि मानी जायेगी।

आवेदक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह स्वतः अपने पूर्वाधिकारी एवं उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त नजूल भूमि एवं फ्रीहोल्ड की भूमि का विस्तृत ब्यौरा भी आवेदन पत्र के साथ देगा एवं इस आशय की शपथ पत्र भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। गलत सूचना दिया जाना आवेदन पत्र या फ्री-होल्ड आदेश को निरस्त करने का आधार होगा।

19. स्वमूलयांकन मूल्य की गणना निम्न प्रक्रियानुसार की जायेगी-

भूखण्ड के निर्धारित कट ऑफ डेट का सर्किल रेट X भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल X फ्रीहोल्ड के लिये प्रस्तावित भू-उपयोग हेतु निर्धारित दर

20. निम्न लिखित भू-उपयोगों हेतु उनके सम्मुख अंकित दरों पर फ्रीहोल्ड की सुविधा अनुमन्य करायी जायेगी-

आवासीय दर

क) एकल आवासीय/एक मंजिल इमारत	प्रस्तर-5 की तालिका में उल्लिखित धनराशि के अनुसार
ख) ग्रुप हाउसिंग/बहुमंजिली इमारत	प्रस्तर-5 की तालिका में उल्लिखित धनराशि का दुगना

21. स्टैम्प ड्यूटी का निर्धारण/आंकलन फ्री-होल्ड के आंकलित मूल्य पर किया जायेगा। जो किसी भी दशा में सर्किल रेट से कम नहीं होगा।

22. नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड की यह योजना, ऐसे पट्टाधारकों के लिये जिनके पट्टे की अवधि समाप्त नहीं हुई है तथा पट्टे की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है; स्वैच्छिक है, किन्तु यदि पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है, अथवा पट्टे की शर्त का उल्लंघन किया गया है तो पट्टागत भूमि को फ्रीहोल्ड कराना अनिवार्य होगा अन्यथा इस भूमि पर शासन को पुन:प्रवेश का अधिकार प्राप्त होने के कारण बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

23. फ्रीहोल्ड की समस्त कार्यवाही रू० 100 स्टाम्प पेपर पर इनडेम्नटी (INDEMNITY) बांड लेकर की जायेगी।

24. इस नीति के तहत किसी भी बकाये की धनराशि को भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जायेगा।

25. यदि कोई व्यक्ति जिसने फ्रीहोल्ड किये जाने हेतु स्वमूल्यांकन कर 25 प्रतिशत की धनराशि जमा की है, और नीति के सुसंगत नियमों के अधीन आंकलित बकाया धनराशि जमा नहीं करता, तो उसके विरूद्ध बकाया धनराशि का उल्लेख करते हुए डिमाण्ड नोटिस जारी की जायेगी।

26. यदि डिमाण्ड नोटिस की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं की जाती है तो 15 दिन का एक और नोटिस देकर धनराशि जमा करने का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा। इसके बाद ही धनराशि जमा न करने पर स्वमूल्यांकन की जमा समस्त धनराशि को शासन के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा और पुन: आवेदन करने पर वर्तमान सर्किल रेट पर मूल्यांकन की गणना की जायेगी।

27. यह योजना नजूल नीति, 2009 के लागू होने के उपरान्त वर्तमान में 31.03.2015 तक लागू है ।

28. इस प्रकार फ्रीहोल्ड की कार्यवाही नियमानुसार निष्पादित हो जाने के उपरांत भू-स्वामियों को ऐसी भूमियों पर संक्रमणीय भूमिधर के सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे।

29. यदि इस नीति के किसी उपबन्ध के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न हो तो, उसे शासन को विनिर्दिष्ट किया जायेगा तथा शासन का इन सभी प्रकरणों में विनिश्चय अन्तिम होगा। नजूल भूमि फ्री होल्ड किये जाने से सम्बन्धित समस्त धनराशि निर्धारित मद में राजकोष में जमा करायी जायेगी।

30. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित की गयी नीति एवं प्राविधानों को तात्कालिक प्रभाव से लागू करते हुए कार्यवाही की जाये तथा नीति का विस्तृत प्रचार एवं प्रसार किया जाये, जिससे इसमें निहित प्रावधान सम्बन्धित पक्ष भलीभांति समझकर इसका लाभ उठा सकें।

31. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1336 (क) XXVii (2)/2009 दिनांक 27 फरवरी, 2009 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव।

संख्या (I)/ V /आ०-2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा समस्त स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
2. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
3. गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग-1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या-4/2/IV/XXI/ 2009-सी० एक्स, दिनांक 22.2.2009 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित
4. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त शासनादेश को असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव

प्रेषक,

पी0 सी0 शर्मा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या - 15 /V-2011-01 (एन० एल०)/2008

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तराखण्ड।

2- अध्यक्ष,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री

3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

4- उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण
देहरादून/हरिद्वार।

आवास अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 6 अप्रैल, 2011

विषय : उत्तराखण्ड में स्थित नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-437/V-आ0-10-01 (एन0एल0)/08 दिनांक 01-3-2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड में स्थित नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण हेतु उत्तराखण्ड नजूल नीति, 2009 निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश के लागू रहने की तिथि दिनांक 28-2-2010 तक निर्धारित थी।

उपरोक्त के क्रम में शासनादेश संख्या 135/V-2010-01 (एन0 एल0)/2008 दिनांक 25 मई, 2010 द्वारा नजूल नीति लागू रहने की अवधि दिनांक 30-3-2011 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

उक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या 135/V-2010-01 (एन0 एल0) /2008 दिनांक 25 मई, 2010 में संशोधन करते हुए निर्गत नजूल नीति लागू रहने की अवधि दिनांक 31-3-2012 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 01-3-2009 में अन्तर्निहित व्यवस्थायें यथावत् लागू रहेंगी।

कृपया नजूल भूमि फ्रीहोल्ड के लम्बित प्रकरणों में उत्तराखण्ड नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 01-3-2009 में निहित प्रावधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(पी0 सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या - 135 /V-2010-01 (एन० एल०)/2008

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तराखण्ड।

2- अध्यक्ष,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री

3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

4- उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण
देहरादून/हरिद्वार।

आवास अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 25 मई, 2011

विषय : उत्तराखण्ड में स्थित नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-437/V-आ0-10-01 (एन0एल0)/08 दिनांक 01-3-2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड में स्थित नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण हेतु उत्तराखण्ड नजूल नीति, 2009 निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-27 के अनुसार नजूल नीति निर्गत होने से 01 वर्ष तक लागू रहने की व्यवस्था निर्धारित थी। उक्त नीति के लागू रहने की तिथि दिनांक 28-2-2010 को समाप्त हो गयी है।

2- उपरोक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश सं0-437/V-आ0-10-01 (एन0एल0)/08 दिनांक 01-3-2009 के प्रस्तर-27 में संशोधन करते हुए निर्गत नजूल नीति लागू रहने की अवधि दिनांक 31-3-2011 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त के अतिरिक्त नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 01-3-2009 में अन्तर्निहित व्यवस्थायें यथावत् लागू रहेंगी।

4- कृपया नजूल भूमि फ्रीहोल्ड के लम्बित प्रकरणों में उत्तराखण्ड नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 01-3-2009 में निहित प्रावधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

संख्या .....तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ प्रेषित-

1- समस्त स्थानीय निकाय उत्तराखण्ड।
2- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
3- गार्ड फाईल

आज्ञा से

(आर0 के0 सुधांशु)
अपर सचिव

संख्या "161 /V-2011-01(एन0एल0)/2008 टी0सी0

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
2 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3 उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
4 अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

आवास अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक 27 नवम्बर, 2011.

विषयः नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं निस्तारण के सम्बन्ध में वर्तमान नजूल नीति में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि नजूल भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति है और नजूल भूमि के प्रबन्धन और निस्तारण तथा फीहोल्ड किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–437/V–आ0–2009–01 (एन0एल0)/08 दिनांक 01–03–2009 द्वारा नजूल नीति, 2009 निर्गत की गयी है एवं जिसकी अवधि शासनादेश संख्या–151/V–आ0–2009–01(एन0एल0)/08 दिनांक 06–04–2011 द्वारा दिनांक 31–3–2012 तक बढ़ायी गयी है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–437/V–आ0–2009–01(एन0एल0)/08 दिनांक 01–3–2009 द्वारा निर्गत नजूल नीति के प्रस्तर 3(3)(घ) के आधार पर नजूल भूमि को जिन्होंने अभी तक फीहोल्ड नहीं कराया है वह दिनांक 09–11–2000 को भूमि की प्रचलित सर्किल दरों पर फीहोल्ड के लिये आवेदन दिनांक 31.3.2012 तक कर सकेंगे, तथा जिनके द्वारा पूर्व में आंशिक धनराशि जमा की गई है वह दिनांक 9.11.2000 को भूमि की प्रचलित सर्किल दरों पर फीहोल्ड करा सकेंगे एवं उन्हें जमा की गयी राशि छोड़कर शेष राशि जमा करनी होगी।

2 उक्त वर्णित शिथिलता के अतिरिक्त फीहोल्ड की समस्त कार्यवाही हेतु नजूल नीति, 2009 के प्राविधान यथावत् लागू होगें।

3. उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। नजूल भूमि के प्रबन्ध और निस्तारण के संबंध में उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या 697/XXVII(2)/2011 दिनांक 28.11.2011 से प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या .....तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2-- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री उत्तराखण्ड।
3-- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4-- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
5-- समस्त स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
6-- वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7-- गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8-- निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9-- सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9-- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(गरिमा शैंकली)
उप सचिव

संख्या 963/V-2011.01(एन0एल0)/2008 टी0सी0

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण उत्तराखण्ड।
4. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उत्तराखण्ड।

आवास अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 22 दिसम्बर 2011

विशेष : नजूल भूमि के प्रबंधन एवं निस्तारण के सम्बन्ध में वर्तमान नजूल नीति में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत करना हैं कि नजूल भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति है और नजूल भूमि के प्रबन्धन और निस्तारण तथा फ्रीहोल्ड किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 437/V–आ0–2009–01 (एन0एल0)/08 दिनांक 01.03.2009 द्वारा नजूल नीति, 2009 निर्गत की गयी है एवं जिसकी अवधि शासनादेश संख्या–शासनादेश संख्या 151/V–आ0–2009–01 (एन0एल0)/08 दिनांक 06.04.2011 द्वारा दिनांक 31.3.2012 तक बढ़ायी गयी है, एवं तत्क्रम में शासनादेश संख्या 761/V–आ0–2009–01 (एन0एल0)/08 दिनांक 29.11.2011 निर्गत किया गया। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि:–

(1) शासनादेश संख्या 437/V–आ0–2009–01 (एन0एल0)/08 दिनांक 01.03.2009 द्वारा निर्गत नजूल नीति 2009 के प्रस्तर 3(3)(च) में उल्लिखित व्यवस्था में संशोधन करते हुये "पट्टेधारक" के स्थान पर "आवेदक" तथा "पट्टागत भूमि" के स्थान पर "कब्जे की भूमि" शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है।

(2) उक्त शासनादेश के प्रस्तर 16 एवं 17 में अंकित अवैध कब्जे की कट आफ डेट 08.11.2000 के स्थान पर दिनांक 09.11.2011 प्रतिस्थापित की जाती है।

2. उक्त वर्णित संशोधन के अतिरिक्त फ्रीहोल्ड की समस्त कार्यवाही हेतु नजूल नीति 2009 एवं शासनादेश संख्या 761/V–आ0–2009–01 (एन0एल0)/08 दिनांक 29.11.2011 के प्राविधान यथावत् लागू होंगे।

उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। नजूल भूमि के प्रबन्ध और निस्तारण के संबंध में उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं मासिक प्रगति आख्या शासन को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपलब्ध करायी जायें।

भवदीय

(पी.सी. शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या 983(1)/v-आ0/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रमुख सचिव /सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड
5. समस्त स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड
6. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(पी.सी. शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या 224/V-2011.01(एन0एल0)/2008 टी0सी0

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तराखण्ड।

2. अध्यक्ष,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री

3. समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

4. उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण
देहरादून/हरिद्वार।

आवास अनुभाग–1

देहरादून दिनांक 31 मार्च 2012

विशेष : उत्तराखण्ड में स्थित नजूल भूमि के प्रबंध एवं निस्तारण के संबंध में निर्गत नजूल नीति 2009 की अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या 437/V–आ0–10–01 (एन0एल0)/08 दिनांक 01.03.2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उपरोक्त के क्रम में शासनादेश संख्या 151/V–2011–01 (एन0एल0)/2008 दिनांक 06 अप्रैल 2011 द्वारा नजूल नीति लागू रहने की अवधि दिनांक 31 मार्च 2012 तक बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

3. उक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 151/V–2011–01 (एन0एल0)/2008 दिनांक 06 अप्रैल 2011 में संशोधन करते हुए निर्गत नजूल नीति लागू रहने की अवधि दिनांक 30.09.2012 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त के अतिरिक्त नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 01–03–2009 एवं अनुवर्ती शासनादेश दिनांक 29 नवम्बर, 2011 एवं शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में अन्तनिर्हित व्यवस्थायें यथावत लागू रहेंगी।

5. कृपया नजूल नीति भूमि फ्रीहोल्ड के लम्बित प्रकरणों में उत्तराखण्ड नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 01.03.2009 एवं अनुवर्ती शासनादेश दिनांक 29 नवम्बर, 2011 एवं शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये अद्यतन स्थिति से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(पी.सी. शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या /V.-2011–01 (एन0एल0)/2008 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. समस्त स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(डा0 बी0वी0आर0सी0 पुरुषोत्तम)
अपर सचिव

आवेदन का प्रारूप

संलग्नक-1

सेवा में,

जिलाधिकारी/ उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

महोदय,

शासन के द्वारा नजूल भू-खण्डों की फ्री-होल्ड करने की वर्तमान घोषित नीति के अंतर्गत मैं अपना नजूल भूखण्ड संख्या.....को फ्री होल्ड करना चाहता/ चाहती हूं। इसके साथ ही स्वमूल्यांकन के आधार पर फ्री-होल्ड हेतु आवेदित क्षेत्रफल के मूल्यांकन की 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने सम्बन्धी ट्रेजरी चालान .....दिनांक .....आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर रहा/रही हूं। उक्त भूखण्ड मेरे पक्ष में फ्री-होल्ड करने का कष्ट करें।

भवदीय/भवदीया

दिनांक.....

आवेदक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता:

.....

.....

.....

.....

संलग्नक-2

नजूल भूमि को फ्री-होल्ड घोषित करने हेतु स्वमूल्यांकन के आधार पर आवेदन पत्र-1

1. नजूल भूखण्ड की संख्या।
2. नजूल भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)।
3. नजूल भूखण्ड के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई।
4. नजूल भूखण्ड का मूल पट्टा प्रारम्भ होने की तिथि।
5. नजूल भूखण्ड की कुल अवधि समाप्त होने की तिथि।
6. पट्टा चालू है अथवा शाश्वत।
7. यदि पट्टा चालू है तो पट्टा कब तक के लिए नवीनीकृत है।
8. क्या पट्टे की शर्तों के अनुसार अद्यतन लीज रेंट जमा कर दिया गया यदि हां, तो कब तक का लीज रेंट का किया गया है।
9. पट्टा किस प्रयोजन हेतु स्वीकृत हुआ था।
10. पट्टा भूमि का वर्तमान उपयोग।
11. क्या मूल पट्टे की शर्तों का किसी प्रकार उल्लघंन तो नहीं किया गया।
12. पट्टेदार का नाम-

    (यदि पट्टा संयुक्त पट्टेदारी में है तो समस्त संयुक्त पट्टेदारों का नाम)
13. पट्टेदार का स्वामित्व-
    1. मूल पट्टा किसके पक्ष में स्वीकृत हुआ?
    2. वर्तमान पट्टाधिकारी किस प्रकार प्राप्त हुआ?

(प्रमाण के लिये पट्टे की स्पष्ट प्रतिलिपि एवं अन्य संगत अभिलेख जो पट्टाधिकारी प्रमाणित करते हों, संलग्न किये जायें।)

14. फ्री-होल्ड हेतु आवेदन पत्र दिनांक .....को निर्धारित सामान्य दर के आधार पर देय धनराशि के 25 प्रतिशत निम्नानुसार स्वमूल्यांकन के आधार पर आंकलित धनराशि के ट्रेजरी चालान के साथ संलग्न किया जाये।

स्वमूल्यांकन की धनराशि = संबंधित भूखण्ड का निर्धारित सर्किल रेट (प्रति वर्ग मीटर) = क्षेत्रफल (प्रति वर्ग मी०)X फ्री-होल्ड के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग हेतु निर्धारित पर 40 या 60 % X 25%

$$= \frac{\text{.....X.....X.....X25}}{100\text{x}100} = \text{रूपये} =$$

साक्षी: 1. .....

2. .....

पट्टेदार के हस्ताक्षर

संलग्नक-3

1- नजूल भूखण्ड का विवरण।

(1) भूखण्ड संख्या एवं स्थिति।

(2) नजूल भूखण्ड के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई।

(3) पट्टागत सम्पूर्ण भू खण्ड का क्षेत्रफल .....

(मूल पट्टे का प्रमाणित प्रति सहित) .....

2- सम्बन्धित व्यक्ति का विवरण जिसके पक्ष में फ्री-होल्ड किया जाना प्रस्तावित है-

(1) भूखण्ड का क्षेत्रफल मानचित्र सहित।

(2) विक्रय पत्र/ विक्रय अनुबन्ध आदि से संबधित विलेख की प्रमाणित प्रति।

3- यदि पट्टागत भूमि हस्तांतरित कर दी गयी है तो उसका विवरण।

4- (क) विक्रय अभिलेख/विक्रय अनुबंध आदि से संबंधित विलेख की प्रमाणित प्रति।

हस्तांतरणी/ क्रेता का नाम	हस्तांतरित तिथि	क्षेत्रफल	हस्तांतरण की तिथि	कब्जा देने की तिथि
1.				
2.				
3.				

(ख) हस्तांतरण/कब्जा देने की कार्यवाही पट्टे की शर्तों के अनुसार की गयी अथवा नहीं।

5- पट्टे की किसी शर्त का उल्लघंन हो तो अथवा नहीं, यदि उल्लघंन हुआ हो तो उसका विवरण।

6- पट्टागत भूमि का वर्तमान में भू-उपयोग एवं भूमि का दिनांक.....को निर्धारित सर्किल रेट।

7- फ्री-होल्ड हेतु आवेदन दिनांक.....के लिए निर्धारित सामान्य दर की आधार पर देय धनराशि का 25 प्रतिशत निम्नानुसार स्वमूल्यांकन के आधार पर आंकलित धनराशि के ट्रेजरी चालान के साथ संलग्न किये जाये।

स्वमूल्यांकन की धनराशि = संबंधित भूखण्ड का निर्धारित सर्किल रेट X क्षेत्रफल X फ्री-होल्ड के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग निर्धारित दर का 25 प्रतिशत।

8- पट्टागत भूमि नामित व्यक्ति के पक्ष में फ्री-होल्ड किये जाने हेतु पट्टा धारक के निर्धारित स्टाम्प पेपर पर सहमति (नोटरी द्वारा प्रमाणित)।

9- नामित व्यक्ति द्वारा भूमि को फ्री-होल्ड कराने हेतु उपलब्ध कराया गया सहमति पत्र निर्धारित स्टाम्प पेपर पर सहमति (नोटरी द्वारा प्रमाणित)।

10- नामित व्यक्ति का निर्धारित स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बंध पत्र (इन्डेमिनिटी बाण्ड)।

11- नजूल भूखण्ड के क्रेता जिनके प्रकरण में पट्टाधारक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पर दिया गया है उन मामलों में निम्न सूचना अभिलेख संलग्न किया जाना है-

(1) पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति एवं स्टाम्प पेपर पर शासन की नीति के अनुसार फ्री-होल्ड कराने विषयक सहमति पत्र।

(2) क्रेता की ओर से रू० 100 के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बंध पत्र (इन्डेमिनिटी बाण्ड)।

12- पट्टागत अथवा पूर्ण पट्टागत नजूल भूमि के ऐसे मामलों, जहां पट्टाधारक अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा भूखण्ड अथवा उसके अंश भाग को विक्रय करने हेतु पंजीकृत विक्रय अनुबंध किया गया है, में निम्न सूचना उपलब्ध कराया जाना है-

(1) पंजीकृत विक्रय अनुबंध की प्रमाणित प्रति एवं शासन की नीति के अनुसार फ्री-होल्ड कराने हेतु अनुबंधकर्ता की स्टाम्प पेपर पर लिखित सहमति।

(2) प्रस्तावित क्रेता/अनुबंधकर्ता की ओर से निर्धारित स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बंध पत्र जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि यदि पट्टेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है और पट्टेदार या उसके विधिक उत्तराधिकारी की ओर से अनुबंध/प्रस्तावित क्रेता का होगा।

(3) जिन मामलों में पट्टाधारक द्वारा स्टाम्प पेपर पर लिखित सहमति उपलब्ध करा दी जाती है, उन मामलों में भी क्षतिपूर्ति बंध पत्र रू० 100/- के स्टाम्प पर अनुबंधकर्ता/ प्रस्तावित क्रेता द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

जिलाधिकारी / उपाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

साक्षी: मैं प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त प्रविष्टियाँ सत्य है और मेरे द्वारा कोई बात छुपाई नहीं गयी है और किसी बात में त्रुटि पाये जाने पर मैं उत्तरदायी होऊँगा।

पट्टेदार के हस्ताक्षर

<u>कार्यालय प्रयोग के लिये</u>

प्रमाणित किया जाता हैं कि उपर्युक्त प्रविष्टियों के सत्यापन से संबंधित अभिलेखों से कर लिया गया है और सभी प्रविष्टियां सही पायी गयी है।

सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर

(उपाध्यक्ष, देहरादून विकास प्राधिकरण/जिलाधिकारी द्वारा नामित)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रविष्टियों के सत्यापन से संबंधित अभिलेखों से कर लिया गया है और सभी प्रविष्टियां सही पायी गयी है।

सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर

(उपाध्यक्ष, देहरादून विकास प्राधिकरण/जिलाधिकारी द्वारा नामित)

उपरोक्त पट्टेदार नजूल भूमि की संख्या .....को फ्री-होल्ड कराने हेतु पात्र हैं/नहीं हैं।

(उपाध्यक्ष, देहरादून विकास प्राधिकरण/जिलाधिकारी द्वारा नामित)

नजूल भूखण्ड संख्या ..... क्षेत्रफल .....वर्ग मी०
के लिए रू० .....वर्ग मी० की दर से भूखण्ड का कुल मूल्य रू० .....
निर्धारित हुआ जिसका अद्यतन मेमो सं० .....दिनांक .....द्वारा संबंधित लेखा शीर्षक में जमा कर दी गयी है।

सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर

(उपाध्यक्ष, देहरादून विकास प्राधिकरण/जिलाधिकारी द्वारा नामित)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2

प्रपत्र संख्या– 43ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार (नॉ बैकिंग) बैंक का नाम व शाखा — भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, देहरादून।

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम — मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।
2. पता– — सहारनपुर रोड निकट ट्रान्सपोर्ट नगर देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है। — नजूल भूखण्ड संख्या ..... हेतु 25 प्रतिशत स्वमूल्यांकन राशि/ फ्री–होल्ड धनराशि/ नामांकन राशि।
5. चालान की सकल (Gross) राशि — रू0 .....
6. चालान की निबल (Net) राशि — रू0 .....
7. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/ लेखाशीर्षक — 0075 विविध सामान्य सेवायें 00–105 भूमि और सम्पत्ति की विकी 03–नजूल भूमि को फ्री–होल्ड करने पर प्राप्त एक मुस्त धनराशि 00 –
8. लेखा शीर्षक 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखाशीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लधु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्योरेवार शीर्षक	धनराशि (अंको में)
0075	00	105	03	00	

–	–	–	–	–
–	–	–	–	–

धनराशि शब्दो में .....

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता के हस्ताक्षर .....

जमाकर्ता का नाम .....

पता.....

केवल उपकोषागारों (नॉन बैंकिग) बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या .....

धनराशि अंको में
रू0

धनराशि शब्दो में
रू0 .
प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर(नॉन बैंकिग/बैक की मोहर

(धनराशि रूपयो में)

विवरण : रोकड (विवरण सहित)

नोट/सिक्के	
1000	
500	
100	
50	
20	
10	
5	
2	
1	
योग	

चेक (पूर्ण विवरण के साथ)

टिप्पणी :–

1. जिन विभागो में अधिक संख्या मे चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है(जैसे वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग, आबकारी आदि) उन्हें बजट में साहित्य के खण्ड –4 अथवा लोक लेखा खण्ड–2 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड–2 (लोक लेखा) तथा खण्ड–4 (राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्रतियां) में दर्शाये गये
2. जिन जमा धनराशि के लिए विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेंतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखाशीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नही होगा।
3. यदि जमा की जाने वाली धनराशि मे पैसे का कोई अन्तर हों तो 50 पैसे कम की धनराशि को छोड दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।